

अंचल अधिकारी का कार्यालय, झरिया (धनबाद)।

22

अभिलेख वाद संख्या- 49/20-2/.....

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक- 13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या -3- खा० म० निति-119/85/2308/रा०, दिनांक- 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या- 914/रा०, दिनांक- 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि० के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- सह्यावाँच, थाना- 169, खाता संख्या- 162, प्लॉट संख्या- 1196, 4894, 4895, 4898
रकवा- 2:75..... एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के एवं अम
खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- 168-1, के
पृष्ठ संख्या- 168..... पर जमाबंदी रैयत गोविन्द राम झांगुण 170 दाता राम कानुपाल

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदन किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध बंदोबस्ती के आधार पर / अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर / अवैध लगान निर्धारण के आधार के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4 (h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।






अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4 (h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 15/8/2020..... को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं सशोधित
अंचल अधिकारी, झरिया।

अंचल अधिकारी,
झरिया।

आदेश फलक

| तिथि | आदेश | अभ्युक्ति |
|----------|---|---|
| 18/08/20 | <p>अभिलेख उपस्थापित नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है विपक्ष उक्त पते पर अनुपस्थित रहने के कारण नोटिस का तामिला नहीं हो पाया विपक्ष को पुनः नोटिस निर्गत करें </p> <p>अभिलेख दिनांक- ...18/09/20... को रखें </p> |  अंचल अधिकारी, झरिया |
| 18/09/20 | <p>अभिलेख उपस्थापित नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है विपक्ष द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कोविड-19 कार्य में व्यस्तता के कारण सुनवाई स्थगित </p> <p>अभिलेख दिनांक- ...19/10/20... को रखें </p> |  अंचल अधिकारी, झरिया |
| 19/10/20 | <p>अभिलेख उपस्थापित कोविड-19 कार्य में व्यस्तता के कारण सुनवाई स्थगित </p> <p>अभिलेख दिनांक- ...08/12/20... को रखें </p> |  अंचल अधिकारी, झरिया |
| 08/12/20 | <p>अभिलेख उपस्थापित अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत जमाबंदी को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द करने हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद को भेजें </p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अंचल अधिकारी, झरिया </p> |  अंचल अधिकारी, झरिया |

अंचल अधिकारी का कार्यालय, झरिया (धनबाद) ।

वाद अभिलेख संख्या-.....49.../2020-21 (अंतर्गत धारा- 4 (h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम.....गोविन्द राम अग्रवाल
पिता - दाता राम अग्रवाल
खा 0 - पावरसीट.....


एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा-रौहसिवांथ थाना नं०-169
 खाता नं०-162 खेसरा नं०-5196, 4894, 4855, 4858 रकवा-2.750 से संबंधित आपके नाम
 से ह० नं०-VII के पंजी-11 भाग-J के पृष्ठ-166 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
 दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरांत संदिग्ध प्रतिवेदित किया
 है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक-18.09.2020 को समय- 11:00 बजे
 पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्त से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा
 निर्गत जमींदार रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा
 निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो
 आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में
 उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

समद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
 नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/ साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए
 दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जाने।

मुहर


 अंचल अधिकारी,
 झरिया।

तिथि :- 18.08.2020स्थान :- झरिया